कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

व्यापार सूचना (टी.आर. संख्या\2020-21\0009) 17 जून, 2021

टैरिफ दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत यू.के को 30 सितंबर, 2021 तक चीनी (कच्ची/रिफान्ड) का निर्यात

विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3/2015-20 दिनांक 20.04.2015 और अधिसूचना 20/2015-20 दिनांक 7/09/2015 के अनुसार टीआरक्यू के अंतर्गत यू.के को चीनी का निर्यात निम्नलिखित शर्तों अधीन करने की अनुमति दी है:-

1. यह कोटा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जाएगा।

2. यह समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित मात्रात्मक सीमा के अधीन होगा।

3. निर्यातकों को एपीडा, नई दिल्ली को वास्तविक निर्यात (अर्थात् मात्रा, मूल्य, गंतव्य, विदेशी खरीदारों आदि का नाम और पता) के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

4. मूल प्रमाण-पत्र, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा।यूके को चीनी निर्यात करने की अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं (यदि हों तो) का पालन किया जाए।

सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015-2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2021 के अनुसार यू.के के वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2021) के लिए यू.के को टैरिफ दर कोटे के अंतर्गत निर्यात के लिए **3675.13 मीट्रिक टन** कच्ची/रिफाइन्ड चीनी का अतिरिक्त कोटा प्रदान किया गया।तदनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यू.के को कच्ची/रिफाइन्ड चीनी के निर्यात के लिए **3675.13 मीट्रिक टन** के आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। टीआरक्यू के अंतर्गत यू.के में कच्ची/रिफाइन्ड चीनी के लिए कोटा लागू करने/प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश हैं:-

(i.) संलग्नक 1 में प्रारूप के अनुसार कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन एपीडा, नई दिल्ली में दिनांक 07.07.2021 (21 दिनों) अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे और उपस्थित रहने हेतु इच्छुक आवेदनकर्ताओं की उपस्थिति में उसी दिन 3:00 बजे खोले जाएंगे।**आवेदन पत्र, सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिन्हें "टीआरक्यू के अंतर्गत यूके को चीनी के निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन" के रूप में सब्स्क्राइब किया जाए और उस पर श्रीमती विनीता सुधांशु, उप-महाप्रबंधक, एपीडा, एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016 संबोधित हो।**

(ii.) जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा और तीन दिनों के भीतर पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी किया जाएगा।

(iii.) संलग्नक 2 में उपलब्ध प्रारूप में एक बैंक गारंटी के साथ आवेदन किया जाएगा जो भारतीय रूपए में कोटा मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एफओबी मूल्य पर लागू किया जाएगा।बैंक गारंटी 31 दिसंबर, 2021 तक मान्य हो

(iv.) आवेदकों के लिए भुगतान की गई राशि के लिए प्रति मीट्रिक टन (जीएसटी को जोड़कर) 11.80 रूपए के प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाएगा।इस राशि का भुगतान एपीडा,नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्रॉफ्ट/ पे ऑर्डर द्वारा किया जाएगा। कोटा प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन आवश्यक राशि/पे ऑर्डर के साथ होने चाहिए।

(v.) उपलब्ध कोटा मात्रा को प्रति मीट्रिक टन अमरीकी डॉलर में निर्यात के लिए उच्चतम एफओबी मूल्य के आधार पर आवेदकों को आवंटित किया जाएगा।आवेदक द्वारा उच्चतम एफओबी मूल्य के लिए लागू की गई मात्रा उपलब्ध कोटे से कम होने की स्थित में, मूल्य कोटेशन के क्रम में अन्य आवेदकों को शेष राशि आवंटित की जाएगी।यदि एक से अधिक आवेदक एक ही एफओबी जमा करते हैं, तो उपलब्ध कोटे के आवंटन का समर्थक अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

(vi.) एक बार आवेदन जमा होने के बाद और पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी होने के बाद निर्यातक/आयातक के नाम और एफओबी मूल्य में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकृत नहीं होगा।

(vii.) आरसीएसी को 30 सितंबर, 2021 तक मान्यता अवधि के साथ जारी किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर 2021 से पहले कस्टम क्लीयरेंस के लिए खेप यूके पोर्ट पर पहुंच जाए।

(viii.) निर्यात को संलग्नक 3 में दिए गए प्रारूप के आधार पर जारी किए गए पूर्ण मात्रा के संबंध में विशिष्ट आरसीएसी की मान्यता की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक आरसीएसी के समक्ष वास्तविक निर्यात विवरण को प्रस्तुत करना होगा।आरसीएसी की पूर्ण मात्रा में असमर्थता की स्थिति में एपीडा द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है।

एस.एस नैय्यर
महाप्रबंधक

नई दिल्ली
17 जून, 2021

संलग्नक- 1

टीआरक्यू के अंतर्गत यू.के के लिए चीनी (कच्ची/रिफाइन्ड) के निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम एवं पता	
2.	टेलीफोन/ई-मेल	
3.	एपीडा/एफआईईओ पंजीकरण संख्या	
4.	मीट्रिक टन में आवेदित मात्रा	
5.	यूएसडी/मीट्रिक टन में एफओबी मूल्य	
6.	प्रदर्शन गारंटी राशि (आवेदित मात्रा के कुल एफओबी मूल्य का 5%)	
7.	प्रदर्शन गारंटी की तिथि एवं मान्यता (आवेदन तिथि के एक वर्ष के लिए)	
8.	आयातक का नाम एवं पता	
9.	भारत में शिपमेंट पोर्ट	
10.	गंतव्य पोर्ट	

घोषणा:

(i) हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे आवेदन में दी गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है।

(ii) हम एपीडा द्वारा जारी आरसीएसी की मान्यता की समयावधि में हमें आवंटित की गई मात्रा को संपूर्ण निर्यात करने का कार्य करेंगे।

(iii) हम प्रमाणित करते हैं कि हम यूके की चीनी के संबंध में गुणवत्ता की आवश्यकताओं से अवगत हैं, जिसे हमने टीआरक्यू के अंतर्गत यू.के को निर्यात करने की योजना बनाई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई निम्न स्तर का उत्पाद हमारे द्वारा निर्यात नहीं किया जाएगा।

(iv) हम जानते हैं कि मान्यता अवधि की समयावधि के अंतर्गत आरसीएसी के अनुसार एपीडा द्वारा आवंटित कोटा मात्रा की शिपमेंट न होने की स्थिति में एपीडा के पास हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार है।

हस्ताक्षर-

नाम और पदनाम-

निर्यातक के अधिकृत हस्ताक्षरी

Annexure–II

FormatforPerformanceBankGuarantee(onRs.100/-StampPaper)

Subject:PerformanceBankGuaranteeforExportofRaw/RefinedSugartoUKunderTRQ

WHEREASthe AgriculturalandProcessedFoodProductsExportDevelopmentAuthoritymentionedasAPEDAhereinafter,throughitsTradeNoticedated…… hasinvitedapplications from the exporters for obtaining quota for export of sugar to UK under TRQ asper the conditions prescribed in the said Trade Notice, which terms and conditions we arefullyawareandinknowof,andwhereasM/s. ……………………………………………………….,theexporter,having their office at ………. have undertaken to export…….. MT of Raw Cane Sugarto UK underTRQat theFOBIndia priceofUSD…… perMT.

AND WHEREAS the exporter is required to furnish alongwith the application. PerformanceBank Guarantee equivalent to 5% of the total FOB value of the quantity applied for in IndianRupeesintermsoftheabove said TradeNotice.

AND WHEREAS the exporter is required to export of Raw Cane Sugarwithin period of thevaliditygivenintheRegistration-cum-AllocationCertificate(RCAC)to beissuedbyAPEDA.

1. We (name and address of a Scheduled Indian Bank) hereinafter called "THE BANK" doherebyundertakeandpromisetopaytheAPEDA,NewDelhianamountofRs. /- (Rupees ……………………………....………) in the event of failure of the exporter (i) tofulfillanyconditionoftheRCACor(ii)tofulfilltheobligationtoexportthequantityallocated to M/s. …………………………..within the stipulated time or according to theprescribedtermsandconditionswhethertheshipment isinpart orfull.

2. Our liability under this guarantee shall fall due immediately on a demand made in thisregard by APEDA within the prescribed period and notwithstanding any dispute or objectionraisedbytheexporterregardingtheirliabilitytopayfornonperformanceofthecommitments made by the said exporter. We do hereby undertakeand promise to paywithoutdemurandondemandbyAPEDA,NewDelhi,thesumofRs.……………………………………………………(Rupees ……………………..)inrespectofwhich,thesaidexporterfailstofulfillthesecommitments and that such claim will be restricted upon the full value of this guarantee i.e.Rs………….(Rupees…………….…………)iftheexportshipmentisnotcompletedinfull.

3. We, ………………………………………………………………Bankfurtheragreethatthisguaranteeshall remain in full force and effect for one year from the date of application by exporter for issueof the RCAC by APEDA and that it shall continue to be enforceable till all the amounts due toAPEDAhavebeenfullypaid,dischargedandChairman,APEDAorhisanyauthorizedrepresentative certifies that the terms and conditions of the said Order have been fully andproperly carried out by the said exporter. Unless a demand or claim under this guarantee ismadeonusinwritingupto6monthsfromthedateofexpiryofthisguaranteeinrespectof

non-performanceregardingexportofSugartoUKunderTRQ,weshallbedischargedfromallliabilitiesunderthisguaranteefurther.

4. We,the………………………………………………….BankfurtheragreethattheAPEDAshallhavethefullestlibertywithoutconsentandwithoutaffectinginanymannerour obligation hereunder, to vary any of the terms and conditions of the said Trade Noticefromtimetotimetopostponeforanytimeorfromtimetotimeanyofthepowersexercisable by the APEDA against the said exporter and to forebear or enforce any of theterms and conditions of the said Order and we shall not be relieved from our liability byreasons of any such variation or extension being granted to the said exporter or forbearanceact of omission on the part of the APEDA to the said exporter or by any such matter or thingwhatsoever which under the law relating to sureties but for the said reservation wouldrelieveus fromtheliability.

5. We,…………………………………Bank further agree that the decision of Chairman,APEDA as to the default on the part of the exporter and the amount payable by us shall befinalandbindingonusandondemandmadebytheAPEDAweshallimmediatelyandwithout demur within 10 days pay the same to the Agricultural and Processed Food ProductsExport Development Authority, 3rd Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, AugustKrantiMarg, HauzKhas, New Delhi – 110016 , by way of Demand Draft/Pay Order drawn in itsfavour.

6. We shall be relieved of and discharged from all liabilities under this guarantee only on theexporter having fulfilled all his obligations and exported the entire quantity of RCAC by thelastdayofshipmentasprescribedbytheAPEDAinthisparticularcaseandsubmittedsatisfactoryproofofshipmentandrealizationofexportvaluebytheBanktothefullsatisfaction of the APEDA in this regard within the prescribed time whose decision in thisconnectionshall befinaland binding.

7. This guarantee will not be revoked by any change in the constitution of the Bank and/ortheexporter.

Datedat……………..……………..this ………………………..….dayof .... 20.

Inpresenceof______________________________

(SignatureoftheGuarantor)

SignatureofApplicants
(to be signed by the Proprietor/Managing Director/Authorized Signatory/Managing Partner of the unitshowinghisDesignation as such)

Date

:Seal:

संलग्नक- 3

टीआरक्यू के अंतर्गत यूके को कच्ची/रिफाइन्ड चीनी के निर्यात के विवरण की प्रस्तुति हेतु प्रारूप

निर्यातक का नाम:

एपीडा/एफआईईओ पंजीकरण सं.:

आरसीएसी संख्या और तिथि:

मीट्रिक टन में मात्रा	कंसाइनी/आयातक	भार (लोडिंग) बिल की तिथि	एफओबी मूल्य	शिपमेंट पोर्ट	गंतव्य पोर्ट

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

नाम एवं पद

तिथि

स्थान